FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रधानाचार्य रा.सी.उ.मा.वि. श्रीमाधोपुर बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

किस्म मुकदमाः–प्रार्थना पत्र अ.धा. 131, 132 एल.आर.एक्ट, मुकदमा नम्बरः– 47 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
19.07.2022		1101/शेड/22 19-7-2022

प्रधानाचार्य रा.सी.उ.मा.वि. श्रीमाधोपुर ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अ.धा. 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 544 रकबा 1.68 हैक्टर व खसरा नम्बर 549 रकबा 2.22 हैक्टर की नक्शे में तरमीम वर्तमान में पूर्व–पश्चिम है जिसको मौके अनुसार उत्तर–दक्षिण कर अशुद्धि को शुद्ध करवाने बाबत पेश किया। जिस पर प्रार्थना पत्र को वास्ते जॉच कर नियमानुसार कार्यवाही बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को जरिये पत्रांक 1607 दिनांक 18.07.2022 के द्वारा भिजवाया गया। जो तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2051 / भू.अ. / 2022 दिनांक 18.07.2022 के द्वारा प्रकरण में बाद जॉच रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाई गई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया कि खसरा नम्बर 544 रकबा 1.68 हैक्टर व खसरा नम्बर 549 रकबा 2.22 हैक्टर की खातेदारी रा.सी.उ.मा.वि. श्रीमाधोपुर के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बरान् में तरमीम वर्तमान मौके के अनुसार पूर्व–पश्चिम से हटाकर उत्तर–दक्षिण तरमीम किये जाने हेतु मय नजरी नक्शा के प्रस्ताव इस कार्यालय को भिजवाये गये है। जिनको दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् यथा नजरी नक्शा ट्रेस नया, जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077, भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट व अभिशंषा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 544 रकबा 1.68 हैक्टर व खसरा नम्बर 549 रकबा 2.22 हैक्टर की खातेदारी रा.सी.उ.मा.वि. श्रीमाधोपुर के नाम से दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त खसरा नम्बरान् में तरमीम वर्तमान मौके के अनुसार पूर्व–पश्चिम से हटाकर उत्तर–दक्षिण तरमीम किये जाने हेतु मय नजरी नक्शा के प्रस्ताव इस कार्यालय को भिजवाया जाना प्रतित होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.08.01 12:22:21 IST
Reason: SelfAttested

अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे मुताबिक रिपोर्ट भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त– श्रीमाधोपुर के अनुसार रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शितानुसार ग्राम श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 544 रकबा 1.68 हैक्टर व खसरा नम्बर 549 रकबा 2.22 हैक्टर जो नक्शे में वर्तमान में पूर्व–पश्चिम है जिसको मौके अनुसार उत्तर–दक्षिण नजरी नक्शा में

तारीख हुक्म

प्रधानाचार्य रा. मा. उ. मा. विद्यालय बनाम भूमिधारी तहसीलदार

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

विविध प्रा. पत्र 4/2022

दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करे। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर.एक्ट दर्ज रजिस्टर की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

19/07/22

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.08.01 12:22:21 IST
Reason: SelfAttested